

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 162/2008

वादीगण :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भवरसिंह पुत्र गंगासिंह
 2. अर्जुनसिंह पुत्र गंगासिंह
 3. पृथ्वीसिंह पुत्र गंगासिंह
- जातियान-राजूपत,
निवासी-राबडियावास
तह.-जैतारण (जिला-पाली)

1. रुपाराम पुत्र चौथा
 2. भंवरु पुत्र चौथा
 3. हापू पुत्र चौथा
 4. बलदेव पुत्र रुपाराम
- जातियान-जाट, निवासी-अमरपुरा
तह.-जैतारण (जिला-पाली)


राजस्व वाद बाबतु स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः. 26.06.2008

- उपस्थितः.
1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
 2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 29/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबतु स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 13 बिस्वा किरम बा0अ0, खसरा नम्बर 504 रकबा 53-1'6 बीघा किरम बा0अ0, खसरा नम्बर 505 रकबा 5-01 बीघा किरम बा0अ0, खसरा नम्बर 506 रकबा 0-03 बीघा किरम गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 0-02 बीघा किरम गै0मु0, खसरा नम्बर 508 रकबा 110-12 बीघा किरम आ0अ0 एवं खसरा नम्बर 541 रकबा 1-06 बीघा किरम आ0अ0, कुल कता-7 कुल रकबा 151-13 बीघा की आई हुई हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। वादीगण के उक्त भूमि के पडौस में अर्दीदसुदा भूमि प्रतिवादी संख्या एक की पत्नी के नाम की आई हुई हैं। प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन की बीच की माठ तोडकर वादीगण की खातेदारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई हैं। जमीन की किमते बढने से वादीगण की पैतृक पुश्तैनी जमीन पर नाजायज तौर से कब्जा करने पर उतारु हैं। जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण की जमीन पर कोई हक हिस, अधिकार नहीं है। दिनांक 23/06/2008 को सभी प्रतिवादीगण ट्रेक्टर लेकर आये ओर वादीगण की जमीन पर लाली के बल पर खड़ाई करने लगे। तब वादीगण ने पुलिस थाना-आ0कालू में सूचित किया। तब पुलिस वाले मौके पर आये और प्रतिवादीगण को वादीगण की जमीन पर खड़ाई करने से मना किया पुलिस वालो के जाने के बाद प्रतिवादीगण ने अपने ट्रेक्टरों से वादीगण की भूमि पर जबरदस्ती खड़ाई कर दी। वादीगण ने मना किया, तो प्रतिवादीगण लड़ाई-झगडा करने पर उतारु हो गये। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा होने से वादीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर उतारु हैं। इसलिये



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या एक की पत्थि के नाम की भूमि वादीगण की भूमि के बीच 5 फुट उची खदक लगी हुई है। खण्डक को छोडकर वादीगण की भूमि से जबरदस्ती ट्रेक्टर से खडाई कर प्रतिवादीगण मरने मारने पर उतारु है। ऐलाभिया कहते है कि कोर्ट कचहरी हमारा कुछ नही कर सकती। तुम जाकर कार्यवाही कर देना हमे किसी का डर नही। यदि प्रतिवादीगण लाठी के बल पर नाजायज तौर से वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लेगे, तो वादी अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगे तथा विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगे, जिससे मल्कीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादीगण जैरबार हो जायेगे, इसलिए जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काशत मे दखलन्दाजी करने व कब्जा करने से रोका जाना जरूरी है। वादीगण का बिनायदावा दिनांक 23/06/08 को जब प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती खडाई करने पर बमुकाम-राबडियावास, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार मे है व वाद अन्दर म्याद पेश किया है।


वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबडियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शहादत पेश करने हेतु बार-बार समच दिए जाने के बावजूद भी शहादत पेश नही करने से शहादत बन्द की जाती है। राजस्व अभिलेख के अनुसार वादीगण खातेदार काशतकार है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काशत में दखल करते है। लिहाजा वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी एवं कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते है।

--: आदेश :-

अतः डिग्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 13 बिस्वा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 504 रकबा 53=16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 505 रकबा 5-01 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 506 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 508 रकबा 110-12 बीघा किस्म आ0अ0 एवं खसरा नम्बर 541 रकबा 1=06 बीघा किस्म आ0अ0, कुल कता-7 कुल रकबा 151-13 बीघा में वादी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी एवं कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। डिग्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दपत्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।


 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
 जिला-पैतारण (राजी)

निर्णय आज दिनांक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबडियावास पर सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
 जिला-पैतारण (राजी)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
 बेईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0
 वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भवरसिंह पुत्र गंगासिंह
 2. अर्जुनसिंह पुत्र गंगासिंह
 3. पृथ्वीसिंह पुत्र गंगासिंह
- जातियान-राजूपत,
निवासी-राबडियावास
तह.-जैतारण (जिला-पाली)


1. रूपाराम पुत्र चौथा
 2. भंवरु पुत्र चौथा
 3. हापू पुत्र चौथा
 4. बलदेव पुत्र रूपाराम
- जातियान-जाट, निवासी-अमरपुरा
तह.-जैतारण (जिला-पाली)
मु0न0 :रा0वा0 स0:162/2008

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धार 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 13 बिस्वा किरम बा0अ0, खसरा नम्बर 504 रकबा 53-16 बीघा किरम बा0अ0, खसरा नम्बर 505 रकबा 5-01 बीघा किरम बा0अ0, खसरा नम्बर 506 रकबा 0-03 बीघा किरम गै0मु0, खसरा नम्बर 507 रकबा 0-02 बीघा किरम गै0मु0, खसरा नम्बर 508 रकबा 110-12 बीघा किरम आ0अ0 एवं खसरा नम्बर 541 रकबा 1-06 बीघा किरम आ0अ0, कुल कता-7 कुल रकबा 151-13 बीघा में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...
 .-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।
 बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2015 को जारी किया गया ।




 उपखण्ड अधिकारी
 जैतारण (पाली)
 (जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1=00		स्टाम्प वकालतनामा	1=00	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	1=00		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2=00		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	5=00		मिजान:-	1=00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल अर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।